समाचार.प्रकाषनार्थरू.

दो मुंह की बावड़ी का होगा जीर्णोद्धार

निगम आयुक्त श्री झारिया ने किया बावड़ी का निरीक्षण

रतलाम 11 फरवरी । दो मुंह की बावड़ी का निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निरीक्षण कर बावड़ी की सफाई का कार्य प्रारंभ करनेए बावड़ी में कचरा ना डले इसके उचित इंतजाम करने के साथ बावड़ी के जीर्णोद्धार के निर्देष संबंधित को दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बावड़ी के निरीक्षण के दौरान सफाई के साथ बावड़ी के दोनो प्रवेष द्वार पर गेट लगाने व रात्री 8 से प्रातः 8 बजे तक गेट बंद रखने के निर्देष दिये ताकि असामाजिक तत्व प्रवेष ना कर सके। बावड़ी में नागरिक कचरा ना डालें इस हेतु एक साईड की दीवार जो कम उंचाई की है उस पर 4 फीट की जाली लगाने व तीन स्थानों पर डस्टबीन लगाये जाने के निर्देष दिये। इसके अलावा उन्होने बावड़ी के जीर्णोद्धार के निर्देष संबंधित को दिये।

निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने नागरिकों से आव्हान किया कि षहर के प्राचीन जल स्त्रोतों को सहेजने में अपनी भूमिका अदा करें। बावड़ियों में कचरा डालकर उसे गंदा ना करें ये हमारी प्राचीन धरोहर है।

इस अवसर पर स्वच्छता ब्रांड एम्बेसेडर अंजू सूर्यवंषीए श्री नवोदित बैरागीए उपयंत्री श्री मनीश तिवारी आदि उपस्थित थे।

नवीन स्पॉट फाईन टीम का गठन

रतलाम 11 फरवरी । घरोंए दुकानोंए व्यावसायिक प्रतिश्ठानों से निकलने वाले कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन में डालते हुए खुले डालने वाले नागरिकों पर जुर्माना किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नवीन स्पॉट फाईन टीम का गठन करते हुए सर्वश्री कुलदीप भट्टए अंकित पुरोहितए विजय मेहनाए मनीश झांझोट व राजकुमार माली को नियुक्त किया।

कचरा संग्रहण वाहन के 5 चालक व 1 क्लीनर का 7 दिवस का वेतन काटा

रतलाम 11 फरवरी । कचरा संग्रहण वाहन के 4 चालकों द्वारा 11 फरवरी को बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने से प्रभावित हुए घर.घर से कचरा संग्रहण कार्य के कारण निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार वाहन चालक मनीश डागरए घीरज मालीए जितेन्द्र तोमर व राजेष वर्मा का 7 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना.पत्र जारी किया गया।

इसके अलावा स्थायीकर्मी क्लीनर विजय सोनगरा द्वारा लगातार कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने व वार्ड क्रमांक 8 के कचरा संग्रहण वाहन चालक द्वारा वाहन में स्वच्छता गीत नही चलाये जाने पर 7 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना.पत्र जारी किया गया।

ष्याम उंटवाल वाहन चालक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी

रतलाम 11 फरवरी । कचरा संग्रहण वाहन के दैनिक वेतन भोगी वाहन चालक ष्याम उंटवाल द्वारा नगर निगम के व्हाट्स एप ग्रुप में वेतन काटने की भ्रामक जानकारी फैलाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार संबंधित को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

कचरा संग्रहण वाहन के दैनिक वेतन भोगी वाहन चालक ष्याम उंटवाल द्वारा नगर निगम के व्हाट्स एप ग्रुप में वेतन काटने की भ्रामक जानकारी फैलाई गई जबकि माह जनवरी में 25ए 26ए 27 व 29 को अवकाष पर रहने व 1 दिवस का ब्रेक होने से 5 दिवस का कम वेतन भुगतान किया गया।

75 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम 11 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 75 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज

प्लास्टिक के उपयोग को कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक ;पॉलीथीनद्ध निर्माताए भण्डारकर्ताए विक्रेताए दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 75 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ंना ही भण्डारणए विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छए सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

नगर निगम के विभिन्न करों से 9ण्98 लाख हुआ राजस्व प्राप्त

ओसवाल नगर व मोती नगर क्षेत्र से 9 अवैध नल कनेक्षन विच्छेद

रतलाम 11 फरवरी । संपत्तिकरए जलकरए लायसेंसए राजस्वए विकास षाखाए बिल्डिंग परमिषन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 11 फरवरी षुक्रवार को कुल राषि रूपये 9ए98ए033ध्. का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 11 फरवरी षुक्रवार को संपत्तिकर षिविर से 137927ए कार्यालय 204619ए वसूली दल 281105 कुल 623651ए जलकर षिविर 19570ए कार्यालय 10140ए वसूली दल 88340 कुल 118050ए दुकान गुमटी किराया कार्यालय 17961 व वसूली दल 50215 कुल 68176ए लीजरेंट 125942ए कम्पाउडिंग 50214ए स्पॉट फाईन 12000 इस तरह कुल राषि रूपये 9ए98ए033ध्. का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के जलप्रदाय अमले द्वारा ओसवाल नगर व मोती नगर क्षेत्र में 9 अवैध नल संयोजनों को विच्छेद किया गया।

पैलेस रोड तिराहे पर आज लगेगा निगम का बकाया वसूली षिविर
नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली षिविरो का आयोजन
नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 71ण्97 लाख व जलकर 16ण्87 लाख की बकाया राषि जमा कराई

रतलाम 11 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।
आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी किरायाए लायसेंस षुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू.भाटक की बकाया राषि जमा करा सकेगें।
निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर 3ए28ए822६ व जलकर 54ए850६ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा षिविर में संपत्तिकर 1ए62ए575६ व जलकर 34ए520६ए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 3ए02ए013६ व जलकर 63ए450६ए विनोबा नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए85ए292६ व जलकर 1ए19ए720६ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल षिविर में संपत्तिकर 3ए20ए857६ व जलकर 62ए950६ए तिरूपति नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए28ए977६ व जलकर 28ए870६ए कोमल नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए16ए000६ व जलकर 14ए000६ए इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास षिविर में संपत्तिकर 2ए51ए600६ व जलकर 1ए04ए640६ए कस्तुरबा नगर षिविर में संपत्तिकर 8ए61ए206६ व जलकर 1ए21ए090६ए प्रियदर्षनी नगर षिविर में

संपत्तिकर 2ए14ए000६ व जलकर 47ए000६ए डोंगरे नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए54ए422६ व जलकर 83ए700६ए हाट रोड षिविर में संपत्तिकर 1ए71ए500६ व जलकर 27ए540६ए कलीमी कालोनी षिविर में संपत्तिकर 1ए96ए281६ व जलकर 40ए240६ए राजेन्द्र नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए45ए000६ व जलकर 31ए760६ए काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर 3ए36ए077६ व जलकर 72ए440६ए वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर 98ए534६ व जलकर 37ए465६ए कल्याण नगर षिविर में संपत्तिकर 87ए732६ व जलकर 36ए660६ए दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए91ए455६ व जलकर 92ए125६ए बोहरा बाखल षिविर में संपत्तिकर 4ए97ए298६ व जलकर 64ए770६ए रामगढ़ षिविर में संपत्तिकर 1ए59ए241६ व जलकर 28ए140६ए लक्कड़पीठा षिविर में संपत्तिकर 6ए11ए920६ व जलकर 1ए56ए600६ए धानमण्डी षिविर में संपत्तिकर 3ए60ए338६ व जलकर 1ए67ए280६ए किरण टॉकिज षिविर में संपत्तिकर 3ए89ए541६ व जलकर 76ए625६ए आनन्द कालोनी षिविर में संपत्तिकर 1ए20ए807६ व जलकर 37ए520६ए प्रताप नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए91ए836६ व जलकर 72ए860६ए महावीर नगर षिविर में संपत्तिकर 87ए741६ व जलकर 37ए140६ पैलेस रोड षिविर में संपत्तिकर 1ए37ए927६ व जलकर 19ए570६ की राषि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लिये 11 से 12 फरवरी तक पैलेस रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लिये 14 फरवरी को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को षिक्षा विभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25ए 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक

स्टेषन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राषि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

11 फरवरी को 2ण्41 मिट्रिक टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 11 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 11 फरवरी षुक्रवार को 2ण्41 मिट्रिक कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

11 फरवरी षुक्रवार को डम्पर से 27245ए टेªक्टर से 27320ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 16895ए काम्पेक्टर गीला कचरा 16350ए डम्पर नाला मलबा 150205ए मैजिक सूखा 1780 व मैजिक गीला 1610 किलो इस तरह कुल 241405 किलो कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध

28 फरवरी तक प्रषमन षुल्क में दी जा रही 20 प्रतिषत छूट

रतलाम 11 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेष षासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध हेतु नियमों में संषोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है। रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।

कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध 28 फरवरी के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

3094 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए
स्वरोजगार ऋण से 109 हितग्राही हुए लाभान्वित
पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 11 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 2898 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000ध् तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 196़ हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है।

एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 105 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 4 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।
पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही
15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल

रतलाम 11 फरवरी । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।
नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें
रतलाम 11 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 11 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 11 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्जण्संण्विण्ध्हेमन्तध्11ण्02ण्2022ध्नण्पाण्निगमए रतलामण